य उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
। अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
नम्बरः–89/2019 प्रार्थना पत्र
श्वर लाल पिता लेहरू लाल जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
नश्याम पिता लेहरूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा
वी बेवा लेहरूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

–––प्रार्थीगण

बनाम

करलाल पिता मोहनलाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा
दयलाल पिता मोहन लाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
पुत्री मोहनलाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
वी पत्नि मीठू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा (राजस्थान)
श पिता मीठू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ान पिता मीठू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा (राजस्थान)
ना पिता प्यारा जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–26.6.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–धिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नई ईरास का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3676/3 रकबा 1 बीघा कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः ा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.3.2019 को पंजीबद्व किया जाकर न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 6 व 8 से 9 के सम्मन बाद ा हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 6 व 8 से 9 उपस्थित नही। संख्या 1 से 6 व 8 से 9 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी हीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया वपक्षी संख्या 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी ास्थित नही। विपक्षी संख्या 7 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत नहीं होने के कारण दिनांक 17.6.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश हैं।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते श्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, । समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नई ईरास पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में ाल आराजी नम्बर 3676/3 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर ा की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.6.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner